न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-507RAAJodhpur2022-316RTA225 Rajuram Vs JDA Jodhpur etc

राजुराम पुत्र श्री केशाराम जाति जीनगर, निवासी- ग्राम जास्ती तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर, {राजस्थान}।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी {पश्चिम} रेलवे अस्पताल के सामने जोधपुर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 29 नवंबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 143/2022 राजुराम बनाम जेडीए जोधपुर इत्यादि

उपस्थित-

श्री के.के. गोयल, श्री दिनेश सरगरा अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री कमलेश राठौड़, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

निर्णय

दिनांक : 21 अगस्त 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 143/2022 अनवान राजुराम बनाम जेडीए जोधपुर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 नवंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

21.8.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 01 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1150/3 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा ग्राम आगोलाई तहसील बालेसर के संबंध धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की, जिससे व्यथित होकर ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने विवादग्रस्त आराजी को जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा से खरीद किया है और बिना बेचाननामा को चेलेंज किये रेस्पोडेंट संख्या एक को कतई अधिकार नहीं है कि वह मनमाने तरीके से अपीलांट को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल कर दे। क्योंकि प्रथमतः तो रेस्पोडेंट संख्या एक के नोटिस को पढने मात्र से ही जाहिर है कि उन्होंने खसरा नं. 1155 का उल्लेख किया है। उक्त वस्तुस्थिति का ज्ञान अधीनस्थ न्यायालय को करवाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन को स्वीकार नहीं कर गहरी वाक्याती व कानूनी भूल की है। यदि इस प्रकार के अर्जेन्ट प्रकृति के मामले में भी अपीलांट को राहत नहीं मिलती है तो उसके साथ घोर अन्याय होगा और एक आम नागरिक अपने अधिकारों की भूमि से हमेशा के लिए वंचित हो जावेगा। अंतरिम निषेधाज्ञा वादग्रस्त सम्पति को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए जारी की जाती

21.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। यदि अंतरिम आदेश जारी न किया जाए तो वादग्रस्त सम्पति की स्थिति में परिवर्तन होने की आशंका से इंकार नही किया जा सकता है। अतः यदि समय पर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी न की गई तो कई कानूनी पेचिदगियॉ बढ जावेगी और अपीलांट का दावा प्रस्तुत करने का उद्धेश्य ही निष्फल हो जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का समग्र रूप से अवलोकन ही नहीं किया है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट संख्या दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। खसरा नं. 1155 की भूमि रेस्पोडेंट संख्या एक के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलांट द्वारा खसरा नं. 1155 की उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसके विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है न कि अपीलांट को अपनी खातेदारी की भूमि से बेदखल करने के संबंध में। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18.11.2022 को अपीलांट द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज भूमि खसरा नं. 1155 पर 20 गुणा 12

21.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फीट भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने पर उसको धारा 67 जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 के तहत नोटिस जारी किया जाना पाया जाता है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज है न कि रेस्पोडेंट संख्या एक की खातेदारी पर। इस विवाद का समाधान अपीलांट अपनी खातेदारी की भूमि का सीमांकन करवाकर भूमि की वास्तविक अवस्थिति ज्ञात करवा सकता है।

ऐसी स्थिति में अदालत हाजा विद्वान रेस्पोडेंट अधिवक्ता के तर्क से सहमत है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध होने से कानूनन पोषणीय नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। इसलिए मामले के अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.8.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर